

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' चौतीस '

[ 28/3/2017 ]

Total Districtwise Distributed Smartphone for session 2014-15		
S.No	District	No. of Distributed Mobiles
1	Agar Malwa	564
2	ALIRAJPUR	940
3	ANUPPUR	878
4	ASHOKNAGAR	1171
5	BADWANI	3130
6	BALAGHAT	3667
7	BETUL	2551
8	BHIND	1206
9	BHOPAL	6406
10	BURHANPUR	163
11	CHHATARPUR	2570
12	CHHINDWARA	4135
13	DAMOH	2488
14	DATIA	1514
15	DEWAS	2519
16	DHAR	3816
17	DINDORI	691
18	GUNA	2371
19	GWALIOR	5180
20	HARDA	937
21	HOSHANGABAD	4358
22	INDORE	6767
23	JABALPUR	3463
24	JHABUA	1836
25	KATNI	1312
26	KHANDWA	1465
27	KHARGONE	2482
28	MANDLA	1417
29	MANDSAUR	3011
30	MORENA	863
31	NARSINGHPUR	1555
32	NEEMUCH	1830
33	PANNA	1143
34	RAISEN	1518
35	RAJGARH	2732
36	RATLAM	2799
37	REWA	3913
38	SAGAR	6168
39	SATNA	4383
40	SEHORE	2238
41	SEONI	2565
42	SHAHDOL	2324
43	SHAJAPUR	1722
44	SHEOPUR	603
45	SHIVPURI	2071
46	SIDHI	1245
47	SINGRAULI	635
48	TIKAMGARH	2303
49	UJJAIN	2964
50	UMARIA	478
51	VIDISHA	2235
<b>Total</b>		<b>121295</b>

प्रश्न सं. [ क 7626 ]

परिशिष्ट "अ"

मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

परिशिष्ट "ब"

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

..आदेश..

क एफ 23-4/2014/38-2

भोपाल दिनांक 8/9/14

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा  
भोपाल म0प्र0।

**विषय:-** उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन प्रदाय करने बाबत।

--00--

राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले नियमित विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन देने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रक्रिया अपना कर दी जाती है :-


1. विद्यार्थियों के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के दिनांक से स्मार्ट फोन दिये जाने तक 75 प्रतिशत उपस्थिति होना चाहिये।
2. स्मार्ट फोन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग स्पेशीफिकेशन निर्धारित करेगा। इस हेतु विभाग से सूचना प्रौद्योगिकी एक्सपर्ट का नामांकन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को किया जावेगा।
3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्तावानुसार स्मार्ट फोन, जिसकी अधिकतम लागत रूपए 3000/- होगी, को खुली निविदा के आधार पर एजेन्सी का चयन, दरों का निर्धारण एवं क्रय एम.पी.ई.डी.सी. द्वारा किया जावेगा। इस कार्य हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एम.पी.ई.डी.सी. को दो प्रतिशत कमीशन राशि उपलब्ध कराई जायेगी।
4. निर्धारित दिनांक को पात्र विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन हेतु "कूपन" प्राचार्य द्वारा प्रदाय किया जावेगा। एजेन्सी द्वारा महाविद्यालयों में उपस्थित होकर पारदर्शी तरीके से फोन छात्रों को वितरित किया जावेगा। प्राप्त "कूपनों" के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लागत राशि सीधे निगम को उपलब्ध कराई जावेगी।

//2//

विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन प्राप्त होने पर विद्यार्थियों द्वारा मोबाइल नम्बरों की जानकारी प्राचार्य को उपलब्ध कराई जावेगी। जिसका उपयोग विद्यार्थियों को योजनाओं की जानकारी देने में किया जा सकेगा।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की सी.आर. 722/ब-3/चार/2014 दिनांक 06/08/2014 द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी की जा रही है।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम  
तथा आदेशानुसार

  
(शकीला अख्तर)  
अवर सचिव


OLC S म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग  
भोपाल दिनांक 8/9/14

क्रमांक एफ 23-4/2014/38-2

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. सचिव, म0प्र0 शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. सचिव, म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
8. सलाहकार, राज्य योजना आयोग, भोपाल।
9. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
10. महा प्रबंधन म0प्र0 स्टेट इलेक्टॉनिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड।
11. निज सहायक, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
12. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म0प्र0।
13. समस्त प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय म0प्र0।
14. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

  
अवर सचिव  
OLC S म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग